

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प. डी. गूजरान

क्रमांक: राजस्व/2021/

दिनांक : / /2021

138/2021

आदेश

आवेदक श्री.....ने  
तहसील कोटखावदा में ग्राम मूलचन्द स्थित आराजी  
ख.न. काकरिया रकबा.....के संबंध में जमाबन्दी  
सम्बत 2075-78 के खाता संख्या 21, 22, 23, 26, पर अंकित प्रविष्टि  
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम  
काकरिया की जमाबन्दी के खाता संख्या 21, 22, 23, 26 की प्रविष्टि के  
स्थान पर मूलचन्द 910 चौधुराम  
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के  
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
पटवारी हल्का रलावता की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा  
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री मूलचन्द पुत्र  
श्री चौधुराम जाति मीणा निवासी काकरिया  
तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत 2075-78  
के खाता संख्या 21, 22, 23, 26 में अंकित प्रविष्टि मूलराम न. चौधूर  
के स्थान पर मूलराम 35 मूलचन्द पुत्र चौधुराम  
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन  
किया जावे।

क्रमांक: राजस्व/2021/3768

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दिनांक : 14/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

- 1. तहसीलदार कोटखावदा
- 2. पटवारी हल्का रलावता

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)